



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र
Makhupura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 30RAJ23008

संख्या : RAJ/SIKAR-69/IRON ORE-06/VOL-2

दिनांक : 30.06.2022

प्रेषित : Shri Daulat Ram Goyal S/O Sh. Net Ram Goyal,
Owner-Pritampuri Iron Ore Mine,
Ward No.4, Shapura Road,
Neem Ka Thana, Distt- Sikar (Rajasthan),
District-Pali (Rajasthan) 306 308
(e-mail: goyalmineral@gmail.com)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Pritampuri Iron Ore Mine (M.L. 15/2000, Lease area 4.95 Hect.) in Sikar District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 19.04.2022 by the undersigned in presence of Sh. S.K. Mishra, Mining Engineer:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of Modification in Review of Mining Plan (Approved on 19.02.2020): - 1) During the year 2019-20 exploration was proposed by drilling of 8 bore holes (400m) but no exploration drilling has been carried out till inspection.
Rule 26 (2)	A yearly PMCP report for the year 2020-21 submitted vide your email dated 31.07.2021. The following discrepancies were observed in submitted report: 1) The proposed & achieved plantation area during the year 2020-21 are not correct. 2) Commulative plantation area at the end of year 2020-21 is not correct.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नीम का थाना, जिला- सीकर, राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

श्री. य.

भवदीय
श्री. य.
30/06/2022
(डी. आर. मुजर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

श्री. य.

श्री. य.
30/06/2022
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो